न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टहला)

वाद संख्या :— 02 / 78 / 2017

कृष्ण अवतार बनाम भरतराम वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 27.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टहला पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 28.06.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 14 / 506 वाके ग्राम रूपबास तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 14.08.2017 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी पर निर्माण नहीं करें बाबत् जारी की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070—73 खाता संख्या 8 वाके रूपबास के अंकित इन्द्राज से प्रथम दृष्टया आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना साबित है इसलिए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 14 / 506 वाके ग्राम रूपबास तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.06. 2017 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 कैम्प कोर्ट टहला पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टहला)

Web Copy - Not Official